

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार  
ऑचलिक कार्यालय, (उत्तर)  
लखनऊ - 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600

फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेड.ओ.एल./प्रशा./01/खण्ड VI/ 445-  
सेवा में,

दिनांक 18.09.2014

### कोटेशन आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), लखनऊ द्वारा प्रयोगशाला हेतु निम्नानुसार Serological Water Bath क्य करने हेतु लिमिटेड कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं -

#### Specifications for Serological Water Bath

S. No.	Name of Item	Technical Specification	Qty.
1	Serological Water Bath	1- Double walled a- Chamber size: 430x230/240x265mm b- Inner Chamber: Stainless Steel Grade 304 2- Outer Chamber: M. S. epoxy Powder Coated 3- Temperature range: Ambient to 50°C & 100°C 4- Temperature Display & Control: Digital temperature display and constant temperature with PID control with minimum $\pm 0.2^\circ$ C Accuracy 5- Element : Tubler ISI mark 6- Fitted with stirring arrangement	01 No.

इस संबंध में नियम व शर्तें निम्नानुसार है-


01. कोटेशन इस कार्यालय में दिनांक 15.10.2014 तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए।

02. कोटेशन को लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा सुनिश्चित करें कि कोटेशन क्रमांक - जेड.ओ.एल./प्रशासन/01/खण्ड- VI/ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। कोटेशन को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे कोटेशन बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।
03. बोर्ड एक या सभी कोटेशन को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कोटेशन खोले जाने की तिथि 15.10.2014 को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता है।
04. कोटेशन पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।
05. दर शब्दों एवं अक्षरों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखे दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।
06. दिए गए दर पैकिंग लोडिंग तथा अनलोडिंग इत्यादि को शामिल करके होना चाहिए। विक्रय कर या व्यापार कर यदि लागू हो तो उसकी दर अलग से दी जाए। कृपया रजिस्ट्रेशन नं. यू.पी.एस.टी./सी.एस.टी. नं. से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख साथ लगाएं।
07. कोटेशन में दिये गये विवरण के पक्ष में उपकरण से संबंधित विवरणिका (Brochure) जिसमें सभी तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स का स्पष्ट विवरण हो, अवश्य संलग्न करें।
09. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।


11. टाइपिंग या लिपिकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

नोट : कृपया अपनी कोटेशन को अच्छी तरह मुहरबंद इत्यादि करके भेजें अन्यथा कोटेशन को निरस्त किया जा सकता है।

  
(गोविन्द भगत)  
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी, आई टी डिवीजन, मुख्यालय, दिल्ली - कृपया बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
2. प्रभारी, प्रयोगशाला, ऑ. कार्या. लखनऊ
- ✓ 3. कार्यालय प्रति, ऑ. कार्या. लखनऊ

  
12/5/14  
अनुभाग अधिकारी